न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री यशार्थ शेखर आई.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 55/2025

प्रार्थीगण

1 मगाराम पुत्र मेराजराम 2 गोरधनराम 3 तीजों पत्नी हिमताराम 4 जमना पत्नी जोधाराम 5 शेम्भूराम 6 रामाराम पिसरान जोधाराम 7 नरपत 8 महेन्द्र 9 रमेश पिसरान निम्बाराम 10 पनी पत्नी निम्बाराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का वास, छीतर का पार तहसील बाटाडू जिला बाडमेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 तहसीलदार बाटाडू 2 भावना पत्नी गोसाईराम 3 गोसाईराम पुत्र उमाराम 4 सुआदेवी पत्नी उमाराम 5 सुरतीदेवी पत्नी हुकमाराम 6 प्रेम कुमार 7 शेराराम पिसरान हुकमाराम 8 चैनाराम 9 रेखाराम पिसरान आदुराम 10 अणदाराम पुत्र पुरखाराम 11 भीमाराम पुत्र किरताराम 12 मरूओदेवी पत्नी मिठूराम 13 मीरोदेवी पत्नी लूणाराम 14 राणाराम पुत्र पुरखाराम 15 लक्ष्मण भाटिया किरताराम 16 लूणीदेवी पत्नी किरताराम 17 खेमचन्द 18 हीराराम पिसरान लूणाराम 19 नरेन्द्र कुमार पुत्र मिठूराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का वास, छीतर का पार तहसील बाटाडू जिला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1 श्री सुरेश पूनड़, वकील प्रार्थी पक्ष।
2 श्री नरेन्द्र सियाग, वकील अप्रार्थी संख्या 12, 17 व 18।

आदेश

दिनांक 14.10.2025

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 19 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा मेघवालों का वास पटवार हल्का छीतर का पार तहसील बाटाडू जिला बाडमेर तत्समय के खेत आई हुई है जो वर्तमान में मौजा बांडा तालर के खेत खसरा संख्या 365 रकबा 71.08 बीघा मौजा मेगवालों का वास पटवार हल्का छीतर का पार के खेत खसरा संख्या 554/526 रकबा 26.11 बीघा, खसरा संख्या 516 रकबा 9.17 बीघा, खसरा संख्या 538 रकबा 6.05 बीघा, खसरा संख्या 446 रकबा 33.12 बीघा कुल रकबा 147.13 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि आपसी सहमति से सभी खातेदारों ने बंटवाड़ा दिनांक 16.02.2009 को श्रीमान् तहसीलदार बायतु के समक्ष पेश किया गया था जिसे स्वीकार किया जाकर माफिक हक व हिस्से अनुसार श्रीमान् तहसीलदार बायतु के आदेश क्रमांक शिविर/2009/828 दिनांक 16.02.2009 को पारित कर तत्समय पटवारी हल्का को राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा माफिक बंटवाड़ा आदेश नामान्तकरण संख्या 12 दायर किया गया जिसे श्रीमान् तहसीलदार बायतु द्वारा दिनांक 29.06.2009 को स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तकरण दिनांक 29.06.2009 को आपसी सहमति के अनुसार सही एवं विधिसम्मत चौसाला की जमाबन्दी संवत् 2066–2069 में खातेदारों का इन्द्राज गलत कर दिया था अर्थात माफिक नामान्तकरण के कॉलम संख्या 09 के अनुरूप नही किया गया जो कि पटवारी हल्का की एक लिपिकीय त्रुटी थी। आपसी सहमति बंटवाड़े अनुसार खसरा संख्या 446 रकबा 33.12 बीघा भूमि प्रार्थीगण के हिस्से में दी गई थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.12.09 17:30:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

एवं अन्य खातेदारों में से प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि का त्याग कर दिया था लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से राजस्व रेकर्ड में तत्समय बंटवाड़ा आदेश की पालना में दायर नामान्तकरण संख्या 12 के अनुसार इन्द्राज नही किया गया, इसलिए खसर संख्या 446 के राजस्व रेकर्ड में पूर्व खातेदारों के नाम राजस्व रेकर्ड में यथावत ही रहे। उक्त गलत नामान्तकरण का फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 04 से 09 ने उक्त भूमि में से अपने सम्पूर्ण हक व हिस्से की भूमि का हक त्याग अप्रार्थी संख्या 03 के पक्ष में दिनांक 18.04.2024 को निष्पादित करवा दिया तथा अप्रार्थी संख्या 03 ने उक्त सम्पूर्ण हिस्सा अपनी पत्नी अप्रार्थी संख्या 02 के नाम पंजीबद्ध बख्शीसनामा के जरिये दिनांक 05.06.2024 को निष्पादित करवा दिया। खसरा संख्या 446 में अप्रार्थीगण का हिस्सा निहित नही होने के उपरान्त भी उक्त पंजीबद्ध हस्तान्तरण होने के कारण नामान्तकरण संख्या 115 दिनांक 22.04.2024 जरिये गोसाईराम के नाम 1/3 हिस्से उक्त खसरे में दर्ज हुआ तथा गोसाईराम द्वारा अपनी पत्नी भावना के पक्ष में निस्पादित गिफ्ट डीड की पालना में नामान्तकरण संख्या 118 दिनांक 05.06.2024 के जरिये वर्तमान में भावना का नाम का नाम उक्त खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया जो प्रारम्भ से ही शून्य है। उक्त गलत नामान्तकरण को आपसी सहमति के आधार पर बंटवाड़ा का राजस्व रेकर्ड में अलम दरामद करने हेतु तहसीलदार बायतु को आवेदन पेश किया गया जिस पर तहसीलदार बायतु के आदेश क्रमांक भू.अ./2020/1538 दिनांक 04.08.2020 को तैयार रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया गया है कि **"नवीन जमाबन्दी संवत् 2066–2069 के खाता संख्या 31 में नामान्तकरण संख्या 12 के अनुसार इन्द्राज नही होकर नामान्तकरण संख्या 12 में स्वीकृत होने के पूर्व की स्थिति का इन्द्राज किया गया है जो कि मात्र लिपिकीय त्रुटी से ही भूल हुई है जिसकी शुद्धि पत्र (बर्द बदर) से की जानी उचित है।"** लेकिन खसरा संख्या 446 के राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती आज तक नही हुई। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम मेगवालों का वास पटवार हल्का छीतर का पार तहसील बाटाडू के खसरा संख्या 446 रकबा 33.12 बीघा भूमि के अधिकार अभिलेख जमाबन्दी के कॉलम संख्या 04 में काश्तकार के रूप में वर्तमान खातेदारों के स्थान पर नाम दुरूस्त कर माफिक बंटवाड़ा आदेश के हिस्सेदार खातेदार व उनके वर्तमान वारिशान के नाम दर्ज करवाने के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashnarth Shekhar
Date: 2025.12.09 17:30:55 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 12, 17 व 18 उपस्थित। अन्य अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

वकील अप्रार्थी संख्या 12, 17 व 18 जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र सही है, प्रार्थीगण का हक व अधिकार की भूमि राजस्व कार्मिकों की भूल से राजस्व रेकर्ड में अन्य खातेदारों के नाम दर्ज हो गए जिसका गलत फायदा उठाकर भूमि को आगे क्रमान्नत हस्तान्तरण कर दिया गया है, जो पूर्णतया गलत है जिसे दुरूस्त किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 12, 17 व 18 को

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

कोई आपति नही है। तहसीलदार बाटाडू से मौके की रिपोर्ट अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में तलब की गई।

तहसीलदार बाटाडू के प्रस्तुत पत्रांक भूअ/2025/783 दिनांक 11.07.2025 द्वारा प्रतिवेदन इस आशय का उपलब्ध करवाया कि ग्राम मेगवालों का वास पटवार हल्का छीतर का पार तहसील बाटाडू के खसरा संख्या 446 रकबा 33.12 बीघा भूमि में नामान्तकरण संख्या 12 के अनुसार शेंभुराम पिसरान जोधाराम जमना बेवा जोधाराम हिमताराम मगाराम नीम्बाराम पिसरान मेराज जाति मेगवाल सा. देह खातेदार का अंकन किया हुआ है, जिसका अमल दरामद तत्कालीन जमाबन्दी संवत् 2062–2065 में खाता संख्या 32 में किया हुआ है, परन्तु नवीन जमाबन्दी संवत् 2066–2069 में खाता संख्या 31 में नामान्तकरण संख्या 12 के अनुसार इन्द्राज नही होकर नामान्तकरण संख्या 12 के स्वीकृत होने के पूर्व की स्थिति का इन्द्राज किया गया है जो कि मात्र लिपिकीय त्रुटि प्रतीत होता है, जिसका शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। पुनश्च नामान्तकरण संख्या 40 दिनांक 20.9.2012 के अनुसार खातेदार हिमथाराम के फौत होने से उनके स्थान पर गोरधनराम पुत्र हिमथाराम, तीजो पत्नी हिमथाराम व निम्बाराम के फौत होने पर नरपतराम, महेन्द्र कुमार, रमेश पिसरान निम्बाराम पनी देवी पत्नी निम्बाराम का नाम जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 में खाता संख्या 31 में इन्द्राज किया हुआ है तथा उक्त खसरा संख्या 446 रकबा 5.4365 में नामान्तकरण संख्या 112, 115, 118 भी वर्तमान में दायर हो चुके है। वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 36 खसरा संख्या 446 रकबा 5.4365 हैक्टेयर किस्म बा.दो. में पूर्व नामान्तकरण संख्या 12 के अनुसार शुद्ध किये जाने पश्चात निम्नानुसार वंशावली अनुसार शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है।

वंशावली

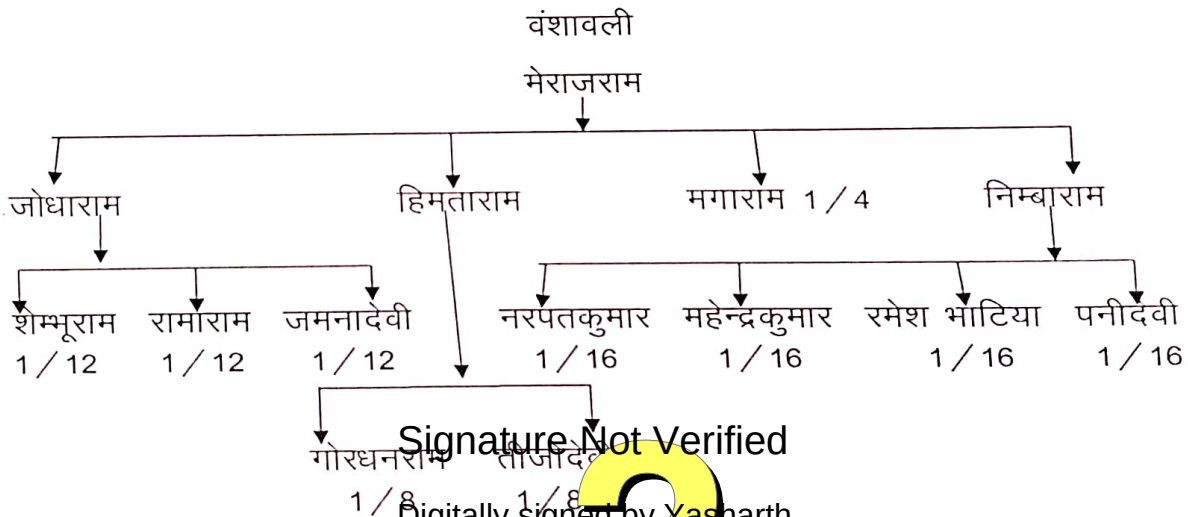

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। उभय पक्ष को तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर सुना गया। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया ग्राम मेगवालों का वास पटवार हल्का छीतर का पार तहसील बाटाडू के खसरा संख्या 446 रकबा 33.12 बीघा भूमि के अधिकार अभिलेख जमाबन्दी के कॉलम संख्या 04 में काश्तकार के रूप में वर्तमान खातेदारों के स्थान पर नाम दुरूस्त कर माफिक बंटवाड़ा आदेश के हिस्सेदार खातेदार व उनके वर्तमान वारिशान के नाम दर्ज करवाने के आदेश फरमावें। वकील

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.12.09 17:30:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर